ग्राम पंचायत लग, विकास खण्ड नालागढ़ जिला सोलन, हि0प्र0 – 174102 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत लग, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत थे :–

प्रधान :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री दिनेश कुमार	01.04.2015 से 22.01.2016
2	श्रीमति फूला देवी	23.01.2016 से 31.03.2018

सचिव :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री जय पाल	01.04.2015 से 05.11.2016
2	श्रीमति ललिता शर्मा	06.11.2016 से 31.03.2018

तकनीकी सहायक :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री जय पाल	01.04.2015 से 31.05.2016
2	श्री हरि लाल शर्मा	01.06.2016 से 31.03.2018

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री राज कुमार	01.04.2015 से 31.03.2018

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:– ग्राम पंचायत लग, विकास खण्ड नालागढ़ जिला सोलन के अवधि 04/2015 से 03/2018 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि ₹(लाखों में)
1	5	बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर नियमानुसार तैयार न करने के कारण रोकड़ बही व बैंक खातों के शेष में का अन्तर	2.68
2	8	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.03
3	9	अनुदान की राशि का अवरोधन	11.89
4	10	हस्तगत शेष का सम्भावित गवन	0.04
5	11	राशि को बैंक से आहरण करके किया गया सम्भावित गवन	1.30
6	12	तत्कालीन पंचायत प्रधान तथा सचिव द्वारा ₹1,45,000 का संभावित गवन	1.45
7	13	किसी भी प्रकार के वाउचर/बिलों के बिना व्यय रोकड़ बही में दर्ज करके किया गया संदिग्ध भुगतान/संभावित गवन	1.62
8	14	रोकड़ बही में बिना वास्तविक भुगतान के ₹1.10 लाख का संदिग्ध व्यय दर्ज करना	1.10
9	15	बिना उचित बिलों के किया गया संदिग्ध व्यय	1.33
10	16	निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टाक/स्टोर का क्रय करना	2.68
11	20	नियमविरूद्ध ₹1000 से अधिक की राशियों का नकद भुगतान करके किया गया संभावित दुर्विनियोजन	14.86
12	23	निर्माण कार्य के निष्पादन में अनियमित भुगतान	4.22

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत लग, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी तथा श्री पुनीत शर्मा, आर्टीकल सहायक द्वारा दिनांक 14/09/2018 से 19/07/2018 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं में दर्ज आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार माहवार अधिकतम आय व्यय के आधार पर किया गयाः–

वर्ष	आय	व्यय
2015–16	03/2016	10/2015
2016–17	09/2016	02/2017
2017–18	07/2017	03/2018

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत लग, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6400 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0 अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/– 232 दिनांक 18/09/2018 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि जे0 सी0 सी0 बैंक दीगल के मल्टीसिटि चैक संख्या 182933 दिनांक 18–09–2018 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4. वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव़ द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी. /2018/–196 दिनांकः 03/08/2018 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम

पंचायत के अवधि 04/2015 से 03/2018 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिश्ट–1** में भी दिया गया है:–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4×5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2015–16	500778	1882376	2383154	1523966	859188
2016–17	859188	3341373	4200561	3238777	961784
2017–18	961784	3024094	3985878	2797041	1188837

वित्तीय स्थिति पर अंकेक्षण टिप्पणियांः–

1. चूंकि ग्राम पंचायत लग द्वारा रोकड़ बहियों में नियमानुसार अन्तशेषों की गणना नहीं की गई है और न ही बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाती है अतः वित्तीय स्थिति हेतु आरम्भिक शेष बैंक खातों के आधार पर लिए गए हैं।
2. ग्राम पंचायत लग द्वारा नरेगा तथा हरियाली परियोजना के अतिरिक्त समस्त आय व्यय का लेखांकन खाता ''क व ख'' की संयुक्त रोकड़ बही में ही किया जा रहा है परन्तु इससे सम्बन्धित लैजर तथा वर्गीकृत सार का अनुरक्षण नहीं किया गया है। इस कारण से पंचायत के स्व–स्त्रोतों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति तैयार नहीं की जा सकी है।
3. लैजर तथा वर्गीकृत सार के अभाव में स्व–स्त्रोतों का पूर्ण विवरण तैयार करना व इसकी विस्तृत जांच करना सम्भव नहीं हो पाया है। अंकेक्षणावधि में स्व–स्त्रोतों से सम्बन्धित मात्र उन्हीं आंकड़ों की परख की गई है जो कि पंचायत द्वारा खाता ''क व ख'' की संयुक्त रोकड़ बही में दर्ज किए गए थे।

5. बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर नियमानुसार तैयार न करने के कारण रोकड़ बही व बैंक खातों के शेष में ₹3.00लाख का अन्तरः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई है। जिस कारण से वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31–03–2018 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार ₹11,88,837 के अन्तशेष तथा बैंक खातों में जमा ₹10,65,460 की राशियों में **(परिशिष्ट ''2'')** यथोचित समायोजन प्रविष्टियां शामिल करने के पश्चात ₹2,68,442 का अन्तर बैंक खातों में अधिक शेष के रूप में पाया गया हैः–

क्र0सं0	खाता			अन्त शेश (₹)
1	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4)			1188837
बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः–				
	विवरण	**बैंक**	**खाता**	
1	खाता 'क व ख'	पी• एन• बी• दीगल	40871	133595
		पी• एन• बी• दीगल	26870	168695
		जे• सी• सी• दीगल	00057	751577
2	हरियाली	पी• एन• बी• दीगल	24696	1
3	हरियाली अंशदान	पी• एन• बी• दीगल	24702	11176
4	नरेगा			0
5	खाता 'ख' की संयुक्त रोकड़ बही में दर्शाया गया हस्तगत शेषः			416
कुल योग (ख)				**1065460**

बैंक समाधान विवरणीः–

रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष 1188837

जमाः–

1 जे• सी• सी• दीगल बैंक खाता संख्या 101334022000057 में जमा आय/प्राप्तियां जिनका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया हैः–

Date	Particulars	Amount
14-07-2016	NEFT	3060
31-12-2016	Interest	12480
03-01-2017	By Bill	4000
20-01-2017	Pay 01-10-2016 to 31-12-2016	6150
23-01-2017	Pay 01-10-2016 to 31-12-2016	25050
31-07-2017	01-04-2017 to 30-06-2017	7890
YSBN	28-08-2017	4200

पी• एन• बी• दीगल बैंक खाता संख्या 116300100526870

	में जमा आय/प्राप्तियां जिनका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया हैः–		
	17-10-2017 NEFT	50000	
	05-12-2017 Interest	1957	
	07-03-2018 Interest	1500	
	पी• एन• बी• दीगल बैंक खाता संख्या 116300100526871 में जमा आय/प्राप्तियां जिनका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया हैः–		
	23-01-2018 NEFT	32500	
	07-03-2018 Interest	1278	
	Total for above additions:-	150065	
	उपरोक्त जमा के समायोजन पश्चात रोकड़ बही का संशोधित शेषः–		1338902
	घटावः–		
1	मोबाईल टॉवर शुल्क जिसे रोकड़ बही पृष्ठ 118 पर दिनांक 24.03.2018 को आय में दर्ज किया गया है परन्तु बैंक द्वारा इस राशि को दिनांक 09.04.2018 को खाते में जमा किया गया हैः–		5000
	उपरोक्त मद को घटाने के पश्चात रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2018 का संशोधित/समायोजित अन्तशेषः–		**1333902**
	पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2018 का अन्तशेषः–		**1065460**
	अन्तर (कम बैंक शेष के रूप में):–		**268442**

नोटः– उपरोक्त तालिका में जमा तथा घटाव के दर्शाये लेनदेन को प्राथमिकता के आधार पर रोकड़ बही में लेखांकित किया जाए।

6. नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) तथा रोकड़ बही के लिए इन नियमों में प्रावधित ''प्रारूप–5'' के आरम्भ में दी गई टिप्पणी के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है।

इसी कारण से पैरा 5 में दर्शाया गया ₹2,68,442 का अन्तर अंकेक्षण के दौरान सामने आया है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7. रोकड़ बही में वास्तविक व सम्पूर्ण व्यय का दर्ज़ न करनाः—

गत पैरा 5 में जो ₹2,68,442 का अन्तर है वह यह भी परिलक्षित करता है कि पंचायत के आय व्यय हेतु बैंक खातों जमा अथवा उनसे आहरित राशियों को नियमानुसार रोकड़ बहियों में दर्ज नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों हेतु प्रयुक्त सीमेंट को भी रोकड़ बही व्यय में खरीदते समय तथा स्टॉक से जारी करते समय दो बार दर्ज किया गया है जिसके कुछ प्रकरण आगामी पैरा 22 में उद्धृत किए गए हैं। अतः दिनांक 31—03—2018 को बैंक खातों के रोकड़ बहियों से ₹2,68,442 कम पाये गये शेष के कारणों की विभाग द्वारा अपने स्तर पर विस्तृत जांच करके रोकड़ बहियों का सम्पूर्ण अद्ययतन सुनिश्चित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. पंचायत राजस्व की ₹0.03 लाख वसूली हेतु शेषः—

पंचायत सचिव़ द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. सोलन/एल.ए.डी. /2018/—196 दिनांकः 03/08/2018 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2018 तक पंचायत के राजस्व की ₹2894 की वसूली हेतु शेष थी।

गृहकर ₹2894 वसूली हेतु शेषः— पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2015—16 में 650 व 2016—17 में 650 तथा 2017—18 में 650 परिवार, दर ₹10 प्रति परिवार प्रतिवर्ष

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015—16	0.00	6500.00	6500.00	630.00	5870.00
2016—17	5870.00	6500.00	12370.00	7656.00	4714.00
2017—18	4714.00	6500.00	11214.00	8320.00	2894.00

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

9. **अनुदान ₹11.89 लाख का उपयोग न करनाः–**

पंचायत सचिव़ द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलसापुर/एल.ए.डी./2018/–196 दिनांकः 03/08/2018 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है के अनुसार दिनांक 31–03–2018 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹11,88,837 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पश्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10. **हस्तगत ₹0.04 लाख का संभावित दुर्विनियोजन/गवनः–**

ग्राम पंचायत के लेखाओं अवधि 04/2015 से 03/2018 की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि सामान्य रोकड़ बही के पृष्ठ 131 पर दिनांक 30.10.2015 को आरम्भिक शेष में उपलब्ध हस्तगत ₹12,893 में से चौकीदार को ₹4000 का भुगतान माह 07/2015 व 08/2015 के वेतन के रूप में नकद किया गया है। परन्तु अन्तशेष में हस्तगत ₹8893 के स्थान पर ₹4893 दर्शाई गई है। इस प्रकार ₹4000 (8893–4893) की हस्तगत राशि का संभावित दुर्विनियोजन/गवन किया गया है। अतः इस प्रकरण की आवश्यक जांच करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से प्राथमिकता के आधार पर करके पंचायत खाते में जमा करवाई जाए।

11. **₹1.30 लाख को बैंक से आहरण करके किया गया संभावित गवनः–**

ग्राम पंचायत के लेखाओं अवधि 04/2015 से 03/2018 की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि पंचायत निधि के जोगिन्द्र सहकारी बैंक दीगल के बैंक खाता संख्या 00057 में से दिनांक 15.09.2015 को ₹44,500 का चैक संख्या 1346598 तथा दिनांक 15.09.2015 को ₹85,000 का चैक संख्या 1346599 द्वारा कुल ₹1,29,500 का आहरण तत्कालीन पंचायत प्रधान श्री दिनेश कुमार द्वारा किया गया है। परन्तु इस आहरण/व्यय के सन्दर्भ में न तो कोई व्यय वाउचर उपलब्ध है और न ही इसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में पाई गई है जो कि स्पष्ट रूप से संभावित गवन की ओर इंगित करता है। अतः इस प्रकरण की उच्चाधिकारी

स्तर पर आवश्यक जांच करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त इस राशि की वसूली सम्बन्धित से प्राथमिकता के आधार पर करके पंचायत खाते में जमा करवाई जाए।

12. तत्कालीन पंचायत प्रधान तथा सचिव द्वारा ₹1.45 लाख का संभावित गवनः–

पंचायत निधि की रोकड़ बही (सामान्य) के पृश्ठ 136 तथा सम्बन्धित बैंक खाता में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार जोगिन्द्रा सहकारी बैंक दीगल के बैंक खाता संख्या 00057 से दिनांक 02.01.2016 को चैक 1347828 से ₹95,000 की तथा दिनांक 21.01.2016 को चैक 1347829 से ₹50,000 का आहरण किया गया था। इस राशि का आहरण बैंक पासबुक प्रविष्टि के अनुसार तत्कालीन पंचायत प्रधान श्री दिनेश कुमार द्वारा किया गया है जबकि रोकड़ बही पृष्ठ 136 पर दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार इस ₹1,45,000 को तत्कालीन पंचायत सचिव के नाम से पेशगी के रूप में दर्ज किया गया है। अंकेक्षण जांच के दौरान इस लेनदेन में गम्भीर अनियमितताएं पाई गई हैं जिस कारण इस राशि का आहरण संदिग्ध प्रतीत होता है तथा संभावित गवन की ओर इंगित करता है। इन अनियमितताओं का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1. इस भुगतान के सन्दर्भ में प्राप्तकर्ता की किसी भी प्रकार की कोई रसीद इत्यादि अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई।
2. इस भुगतान/व्यय के सन्दर्भ में पंचायत कार्यालय में किसी प्रकार का कोई व्यय वाउचर उपलब्ध नहीं है अथवा अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. रोकड़ बही प्रविष्टि के अनुसार भुगतान पेशगी/अग्रिम के रूप में तत्कालीन पंचायत सचिव के नाम से दर्शाया गया है परन्तु पंचायत द्वारा हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 की अनुपालना न तो प्रारूप 9 के अनुसार अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर लगाया गया है और न ही इस भुगतान से सम्बन्धित अन्य कोई अभिलेख अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाया गया।
4. आहरित राशि को कुछ दिनों तक रोकड़ बही में हस्तगत शेष के रूप में दर्शाने के पश्चात सचिव के नाम पेशगी भुगतान के रूप में दर्ज कर दिया गया है।

उपरोक्त विसंगतियों के कारण यह भुगतान संभावित गवन का प्रकरण प्रतीत होता है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव़ को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं. वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/–231 दिनांकः 17/09/2018 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस प्रकरण की पंचायती राज विभाग द्वारा उच्चाधिकारी स्तर पर जांच की जानी अपेक्षित है। अनुपालना से शीघ्रातिशीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13. किसी भी प्रकार के वाउचर/बिलों के तथा रोकड़ बही में इन्द्राज़ बिना बैंक खाते से राशियां आहरित करके किया गया ₹1.62 लाख का संभावित गवनः–

हि. प. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। चयनित माह के वाउचरों की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि पंजाब नैशनल बैंक दीगल के बैंक खाता संख्या 526870 से निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार ₹1,62,316 की राशियां आहरित की गई हैं जिनके विरूद्ध न तो किसी भी प्रकार के बिल वाउचर नस्तियों में उपलब्ध नहीं थे अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए और न ही इस आहरण को रोकड़ बही में दर्ज किया गया है। इस कारण से यह ₹1,62,316 का आहरण संभावित गवन प्रतीत होता है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव़ को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/–231 दिनांकः 17/09/2018 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः अब इस संदिग्ध प्रकरण की उच्च विभागीय स्तर पर सम्पूर्ण जांच करके किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने की परिस्थिति में इस राशि की वसूली सम्बन्धित से करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

पंजाब नैशनल बैंक दीगल के बैंक खाता संख्या 526870 में दर्ज संदिग्ध आहरण का विवरणः–

क्र0 सं0	दिनांक	विवरण	चैक संख्या	राशि (₹)
1	17.05.2017	NEFT Transfer	870361	17250.80
2	17.05.2017	NEFT Transfer	870362	145065.00
	कुल योग			**162315.80**

14. रोकड़ बही में बिना वास्तविक भुगतान के ₹1.10 लाख का संदिग्ध व्यय दर्ज करनाः–

ग्राम पंचायत लग के अंकेक्षणावधि के चयनित माह तथा अन्य प्रस्तुत अभिलेख की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि रोकड़ बही में पृश्ठ 52 पर दिनांक 26.04.2017 को ₹1,09,595 का व्यय पंचायत घर के निर्माण हेतु क्रय की गई विभिन्न निर्माण सामग्री के भुगतान के रूप में चैक संख्या 870357 द्वारा दर्ज किया गया है। परन्तु इस चैक को आहरण बैंक से कभी भी नहीं हुआ है और न ही इसके विरूद्ध अन्य किसी चैक को जारी करने का विवरण पंचायत अभिलेख में उपलब्ध नहीं था अथवा अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत

नहीं किया गया। इन तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि यह प्रविष्टि पूर्णतयः संदिग्ध तथा अवास्तविक है। इस प्रविष्टि को किए जाने के कारण स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव़ को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/–231 दिनांकः 17/09/2018 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः अब इस संदिग्ध प्रविष्टि की जांच करके नियमानुसार कार्यवाही करते हुए वस्तुस्थिति व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15. बिना उचित बिलों के किया गया ₹1.33 लाख का संदिग्ध व्ययः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु वाउचर के रूप में विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। ग्राम पंचायत लग के अंकेक्षणावधि के चयनित माह तथा अन्य प्रस्तुत अभिलेख की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि रोकड़ बहियों में दर्ज ₹1,33,269 के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तीकर्ता के उचित आपूर्ती बिल उपलब्ध नहीं थे जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

क्र0 सं0	दिनांक	रो0ब0 पृष्ट	वाउचर सं0	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता 'क व ख' रोकड़ बहीः–				
1	17.06.2015	121	08	खिडकी व दरवाजे	6000
2	08.07.2016	12	27	रेत, बजरी	11300
3	19.07.2016	12	30	पत्थर	10000
4	27.02.2017	38	78	रेत, बजरी	5195
5	27.02.2017	38	79	पत्थर	11959
6	27.02.2017	38	80	रेत, बजरी	12075
7	27.02.2017	38	85	रेत ढुलाई	3340
8	17.08.2017	82	74	रेत, बजरी	14700
9	22.08.2017	84	90	बजरी ढुलाई	6800
10	22.08.2017	85	92	पत्थर	9000
11	13.09.2017	90	107	रेत, बजरी	22600
12	21.12.2017	105	144	पत्थर, बजरी	11300
13	14.03.2018	117	172	रेत ढुलाई	9000
				कुल योग	**133269**

इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तीकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, अथवा कम्पयूटर पर टाइप किए अथवा हस्तलिखित बिल/प्रार्थना पत्र पर ही बड़ी बड़ी राशियों का भुगतान करते हुए आपूर्तीकर्ता की रसीद दर्शाई गई है और पंचायत सचिव तथा पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तीकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव़ को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/–231 दिनांकः 17/09/2018 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः अब इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्च प्राधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविश्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

16. निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.68 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। ग्राम पंचायत लग के व्यय वाउचरों की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹2,67,619 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र0 सं0	दिनांक	रो0ब0 पृष्ठ	वाउचर सं0	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता 'क व ख' रोकड़ बहीः–				
1	17.06.2015	121	06	जेसीबी से खुदाई कार्य	73600
2	17.06.2015	121	06	जेसीबी से खुदाई कार्य	32000
3	17.06.2015	121	08	खिडकी व दरवाजें	6000
4	27.02.2017	38	78	रेत, बजरी	5195
5	27.02.2017	38	79	पत्थर	11959
6	27.02.2017	38	80	रेत, बजरी	12075

7	2702.2017	38	81	खिडकी व दरवाजे	32900
8	27.02.2017	38	85	रेत ढुलवाई कार्य	3340
9	27.02.2017	39	94	जेसीबी से खुदाई	40000
10	14.03.2018	115	169	रेत, बजरी ढुलाई	20550
11	14.03.2018	115	170	रेत, बजरी ढुलाई	21000
12	14.03.2018	117	172	रेत ढुलाई	9000
				कुल योग	**267619**

उपरोक्त विवरण मात्र चयनित माह से सम्बन्धित है तथा इसके अतिरिक्त भी भण्डार के लिए की गई अन्य खरीद के अधिकतर मामलों में जिनका मूल्य ₹1000 से अधिक है को निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं के बिना ही किया गया है। उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव़ को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/—231 दिनांकः 17/09/2018 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः स्टाक/स्टोर का क्रय उपरोक्त सन्दर्भित नियमों के अनुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष प्रशासनिक स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः—

रसीद बुकों के स्टॉक की जांच में पाया गया कि इसे हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अन्तर्गत रसीद बुकों के अभिलेखन के सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैंः—

1. इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि•प्र• पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म—2 में रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में रखा जाएगा।
2. खाली रसीद बुकें सचिव की निजि अभिरक्षा में अलमारी में ताला लगा कर रखी जाएगी।
3. नई रसीद बुक को आरम्भ करने से पूर्व प्रधान द्वारा उसमें पाई गई खाली रसीदों को प्रमाणपत्र सहित सत्यापित किया जाएगा।

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/जारी खाली रसीदों का प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी

करने का अभिलेख प्रारूप ''4'' के अनुसार बनाए गए स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत लग द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान इस सन्दर्भ में अपेक्षित रजिस्टर का अद्यतन नहीं किया गया है। जिस कारण से अंकेक्षणावधि के दौरान खरीदी गई तथा प्रयोग की गई रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका है तथा न ही उसकी अंकेक्षण जांच सम्भव हो पाई है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षणावधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदों के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदों का अभिलेख जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18. मस्ट्रौल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 102 (1 से 7) के प्रावधानों के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी द्वारा मुद्रित तथा प्रमाणित मस्ट्रौल ही पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी को किसी विकास/निर्माण कार्य में मजदूरों की हाज़िरी लगाने के लिए ''मस्ट्रौल जारी करने के रजिस्टर'' में प्रविश्टि के उपरान्त जारी किए जाएंगे। इन्ही नियमों में प्रावधित है कि इन मस्ट्रौल का अभिलेखन व अनुरक्षण हि• प्र• लोक निर्माण विभाग की कार्यपद्धति के आधार पर किया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत लग द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किए गए मस्ट्रौलों की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना आंशिक रूप में ही की गई है तथा मुख्य रूप से इन मस्ट्रौलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1. मस्ट्रौल के भाग–3 जिसमें मजदूरों द्वारा किए गए कार्य का विस्तृत विवरण दर्ज किया जाता है को पंचायत द्वारा खाली रखा गया है जिस कारण मस्ट्रौल में किए गए कार्य तथा उसके विरूद्ध किए गए भुगतान को तकनीकी प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं हो सका है। उदाहरण हेतु अंकेक्षण जांच में पंचायत निधि खाता ''ख'' में दर्ज/भुगतान किए गए मस्ट्रौल तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थेः–

क्र0सं0	दिनांक	रो0 ब0 पृष्ठ	वाउचर	मस्ट्रौल क्रमांक	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता 'क व ख' रोकड़ बहीः–				
1	06.10.2015	129	18	5980	73600
2	06.10.2015	131	21	5984	83700
3	06.10.2015	131	22	5983	58800

4	27.02.2017	38	82	5995	29000
5	27.02.2017	38	83	5994	60000
6	08.03.2018	114	161	9330	10400
7	08.03.2018	114	164	9340	19000
8	08.03.2018	115	168	9349	30000

2. प्रयोग किए गए मस्ट्रौलों में मात्र कार्य का शीर्षक दर्ज किया गया है। मस्ट्रौल पर रखे गए मज़दूरों से सम्बन्धित विकास/निर्माण कार्य में क्या अथवा किस प्रकार का काम करवाया गया है का विस्तृत विवरण सम्बन्धित कॉलम में दर्ज नहीं किया गया है।
3. मनरेगा के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं के अन्तर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों के मस्ट्रौल को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा न तो किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया है जिस कारण से भुगतान की गई राशि को किए गए कार्य को प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका है।
4. मस्ट्रौल में एक–दो को छोड़कर लगभग सभी प्रावधित कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं।

इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना तथा अनियमित भुगतान करना एक अति गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसे सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19. मनरेगा अभिलेख का अपूर्ण पाया जानाः–

पंचायत सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/–196 दिनांकः 03/08/2018 के प्रत्युत्तर में मनरेगा परियोजना से सम्बन्धित प्रस्तुत सूचना व अभिलेख की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख का निरन्तर अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा है। मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैंः–

1. अधूरे रोजगार कार्डः– रोजगार कार्ड अधूरे पाए गए हैं जिनमें कार्ड धारक को उपलब्ध करवाए गए रोजगार के सन्दर्भ में नियमानुसार निर्धारित कॉलम में प्रविष्टियां नहीं की गई हैं।
2. मनरेगा के अन्तर्गत मांगे गए रोजगार आवेदनों का सम्पूर्ण अभिलेख पंचायत द्वारा नहीं रखा गया है। यह अभिलेख मनरेगा अधिनियम के अधीन तथा योजना के अन्तर्गत किए जा रहे व्यय में पारदर्शिता हेतु रखा जाना अति आवश्यक है। परन्तु इस मूल अभिलेख के अभाव में अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों के दौरान किया गया ₹20.06 लाख का समस्त

व्यय तथा **परिशिष्ट ''3''** के अनुसार 9694 दिनों के लिए दिए गए रोजगार की सारी प्रक्रिया संशयपूर्ण हो जाती है ।

3. सम्पत्ति रजिस्टर का न रखा जानाः– हिमाचल प्रदेश सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक एस एम एस –1/2016–16–आर डी (पी आर सी) दिनांक 13–05–2016 तथा इससे पूर्व में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों का विवरण पंचायत के सम्पत्ति रजिस्टर में रखा जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए सम्पत्ति रजिस्टर का सम्पूर्ण अनुरक्षण करने के स्थान पर आधा अधूरा अभिलेखन ही किया गया है।

मनरेगा अभिलेख में उपरोक्त त्रुटियों का पाया जाना एक अति गम्भीर अनियमितता है तथा यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशानिर्देशों हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख का पूर्ण अद्यतन (Updation) करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

20. नियमविरूद्ध ₹1000 से अधिक की राशियों का नकद भुगतान करके किया गया ₹14.86 लाख का संभावित दुर्विनियोजनः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(1 व 2) के अनुसार ₹1000 तक का ही भुगतान नकद रूप में किया जा सकता है तथा इससे अधिक का भुगतान अनिवार्यतः चैक द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है। पंचायत के लेखाओं की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि अंकेक्षणावधि के दौरान बहुत से भुगतान नकद रूप में किए गए प्रतीत होते हैं क्योंकि अधिकतर मामलों में कई–कई भुगतानों के लिए बैंक आहरण सामूहिक रूप से एक ही चैक द्वारा किया गया है जिससे स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न सेवा प्रदाताओं/आपूर्तीकर्ताओं को भुगतान नकद रूप में किया गया था। अंकेक्षण जांच के दौरान सामने आए ₹14,86,375 के सम्भावित दुर्विनियोजन/अनियमित नकद भुगतान के कुछ प्रकरण निम्न तालिका में उद्धृत किए गए हैं। अतः नियमविरूद्ध इस प्रकार नकद भुगतान की करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही कार्यवाही/भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	दिनांक	खाता संख्या	चैक संख्या	आहरित राशि	आहरणकर्ता
1	28.05.15	00057	1346595	60400	श्री दिनेश कुमार प्रधान
2	17.06.15	00057	1346596	30000	श्री दिनेश कुमार प्रधान
3	14.07.15	00057	1346597	16500	श्री जय पाल सचिव

4	15.09.15	00057	1346598	44500	श्री दिनेश कुमार प्रधान
5	15.09.15	00057	1346599	85000	श्री दिनेश कुमार प्रधान
6	26.10.15	00057	1346600	73500	श्री दिनेश कुमार प्रधान
7	20.11.15	00057	1347826	90000	श्री दिनेश कुमार प्रधान
8	14.12.15	00057	1347827	60000	श्री दिनेश कुमार प्रधान
9	02.01.16	00057	1347828	95000	श्री दिनेश कुमार प्रधान
10	21.01.16	00057	1347829	50000	श्री दिनेश कुमार प्रधान
11	29.02.16	00057	1347830	118000	श्री जय पाल सचिव
12	03.05.16	00057	1347836	46500	श्री जय पाल सचिव
13	02.06.16	00057	1347838	13500	श्री जय पाल सचिव
14	18.07.16	00057	1347850	114000	श्रीमति फूला देवी प्रधान
15	04.08.16	00057	1348603	34500	श्री जय पाल सचिव
16	30.08.16	00057	1348604	112800	श्री जय पाल सचिव
17	25.10.16	00057	1348610	176000	श्रीमति फूला देवी प्रधान
18	14.12.16	00057	30341	10000	श्रीमति फूला देवी प्रधान
19	25.12.16	00057	1348618	10000	श्रीमति फूला देवी प्रधान
20	17.06.15	06870	352030	75000	श्री दिनेश कुमार प्रधान
21	17.06.15	06870	352032	14000	श्री दिनेश कुमार प्रधान
22	09.11.15	06870	352038	60600	श्री दिनेश कुमार प्रधान
23	14.12.15	06870	352039	30000	श्री दिनेश कुमार प्रधान
24	28.03.17	06870	870338	66575	श्रीमति फूला देवी प्रधान
	कुल योग			**1486375**	

21. निर्धारित सीमा से अधिक नकद हस्तगत राशि का रखनाः–

पंचायत की रोकड बहियों की चयनित माह हेतु अंकेक्षण जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जो कि हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। निम्न तालिका में अंकेक्षणावधि के दौरान मासान्त में निर्धारित सीमा से अधिक नकद हस्तगत शेश के कुछ प्रकरण उद्धृत किए गए हैं। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने

का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविश्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	दिनांक	रो0ब0 पृष्ठ	सीमा से अधिक रखी गई राशि
		खाता 'क व ख' रोकड़ बहीः	
1	29.09.2015	128	1,30,235
2	30.10.2015	131	4,893
3	20.11.2015	132	62,743
4	31.12.2015	135	1,155
5	28.02.2016	138	1,085
6	31.05.2016	07	1,062
7	30.07.2016	14	1,176
8	30.08.2016	16	1,188

22. रोकड़ बही से सीमेन्ट जारी करनाः–

पंचायत के लेखाओं की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए खरीदे गए सीमेन्ट को एम• ए• एस• (मैटीरियल ऐट साइट) रजिस्टर/सीमेंट स्टॉक रजिस्टर से सम्बन्धित कार्य को जारी करने के स्थान पर इसे पुनः रोकड़ बही की आय में लेखांकित करते हुए व्यय की तरफ से जारी करने की प्रविष्टियां की गई हैं। रोकड़ बहियों में जांच में पाए गए कुछ प्रकरण नीचे दी गई तालिका में उद्धृत्त किए गए हैं। सीमेन्ट के लेखांकन का यह अनियमित तरीका किन लेखांकन नियमों अथवा किसके आदेशों से अपनाया गया है, इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविश्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रो0ब0पृ0	वाउचर	दिनांक	बोरियां	प्रति बोरी मूल्य	कुल लागत
	पंचायत निधि खाता 'क व ख' रोकड़ बहीः–					
1	04	5 से 7	24.08.16	150	238.45	35768
2	24	57	07.11.16	280	246.44	69003
3	45	112 से 118	03.01.17	293	246.44	72207
4	111	155	13.02.17	200	255	51000
5	111	160	13.02.17	101	255	25755

6	38	84	27.02.17	200	246.44	49288
7	76	53 से 64	13.07.17	407	246.44	100301
					कुल योग	**403322**

23. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:—

पंचायत सचिव़ द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर / एल.ए.डी. / 2018 / —196 दिनांकः 03 / 08 / 2018 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल / वाउचरों की अंकेक्षण जांच उपरान्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:—

1. ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निशपादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के **''परिशिष्ट – ई''** में दिए गए ''अनुबन्ध'' प्रारूप के अनुसार अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।
2. इन बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी / कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। जिस कारण किए गए भुगतान की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों में कनिष्ठ अभियन्ता / तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य का तकनीकी विवरण भी दर्ज नहीं किया गया है।
3. हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 103(4) की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा किए अथवा करवाए गए निर्माण कार्यों की अंकेक्षण जांच में दिक्कतें आई हैं। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4. हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) तथा 105 में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किए गए कार्यों की जांच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख में ऐसी किसी भी जांच के प्रमाण अथवा प्रमाणपत्र नहीं पाए गए हैं। यह स्पष्टतयः सिद्ध करता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्यप्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरूद्ध किए गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त त्रुटियों के सन्दर्भ में पंचायत की वाउचर नस्तियों में पाए गए अनियमित बिलों में से उदाहरण हेतु कुछ बिल निम्न तालिका में दिए गए हैं। इन बिलों में जे सी बी से खुदाई कार्य का निष्पादन करवाया गया हैः–

क्र0 सं0	दिनांक	रो0ब0 पृष्ठ	वाउचर	कार्यावधि घण्टे	फर्म का नाम	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता 'क व ख' रोकड़ बहीः–					
1	17.06.15	121	06	92	हिम्मत सिंह जागर	73500
2	17.06.15	121	07	40	विकास चंद कैथला	32000
3	12.08.15	125	12	20	मनोज कुमार कैथला	14000
4	06.10.15	129	19	72	हिम्मत सिंह जागर	50000
5	29.02.16	138	33	43	मनोज कुमार कैथला	34300
6	03.05.16	04	08	62	तारा चंद राणा जयनगर	46500
7	30.08.16	16	39 / 1	70	हिम्मत सिंह जागर	56000
8	30.08.16	16	39 / 2	70	चंद्रशेखर जयनगर	56000
9	26.11.16	28	62	25	हिम्मत सिंह जागर	20000
10	27.02.17	39	94	50	हिम्मत सिंह जागर	40000
					कुल योग	**422300**

उपरोक्त अनियमितताओं बारे वस्तुस्थिति स्पश्ट करने हेतु पंचायत सचिव़ को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2018/–231 दिनांकः

17/09/2018 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः नियमों के अनुसार निर्माण कार्य निष्पादन से सम्बन्धित अभिलेख न रखने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष प्रशासनिक स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

24. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षण न करनाः–

पंचायत के लेखाओं की अंकेक्षण जांच के दौरान पाया गया कि हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अनुसार प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की जा रही है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1. नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में तीन अलग – अलग रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर अनुरक्षित इन तीन रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण सहित भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।
2. नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फॉर्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार के लैजर का अनुरक्षण नहीं किया गया है जो कि अनुचित है।
3. नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रावधान की अनुपालना नहीं की गई है।
4. नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त हि॰प्र॰

पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप–1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है।

5. नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में पंचायत के लिए किसी भी प्रकार का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है। इस कारण से पंचायत द्वारा अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों के दौरान किया गया समस्त ₹75,59,784 का व्यय अनियमित है। यह एक अति गम्भीर अनियमितता है जिसे अब सक्षम उच्चाधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

6. नियम 33 व 77(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत की वर्श के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव करना होगा। परन्तु ग्राम पंचायत लग में इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है।

7. उपरोक्त के अतिरिक्त हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा निम्न तालिका में दिये गए विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	——	103
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
7	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
8	चौकीदार को जारी की जाने वाली वर्दी का रजिस्टर	——	——

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इस अभिलेख का अनुरक्षण किया जाए।

25. वेतन/मानदेय रजिस्टरों का अनुरक्षण न करने बारेः–

पंचायत के अधीन रखे गए वैटरनरी फर्मासिस्ट, जल रक्षकों चौकीदार तथा सिलाई अध्यापिका को प्रतिमास वेतन/मानदेय का भुगतान किया जाता है। इसी प्रकार पंचायत प्रतिनिधियों को भी मासिक आधार पर मानदेय का भुगतान किया जाता है। परन्तु इस भुगतान के सन्दर्भ में नियमानुसार किसी प्रकार का वेतन/मानदेय रजिस्टर नहीं लगाया गया है जिससे इसकी जांच की जा सके अथवा दोहरे भुगतान की संभावना को टाला जा सके। इस चूक के सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इस अभिलेख को प्राथमिकता के आधार पर तैयार तथा पूर्ण किया जाए तथा भविष्य में इसमें लेखांकन नियमानुसार करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26. क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव नियमानुसार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय 8 के नियम 66 से 73 तक में पंचायत द्वारा खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में प्रावधित नियमों तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत लग द्वारा जिन स्टॉक रजिस्टरों का अनुरक्षण किया गया है उनमें इन नियमों की अवहेलना के अतिरिक्त इनका निरन्तर अद्यतन भी नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु खरीदी गई सामग्री का लेखांकन करते समय हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय 11 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है। यह एक गम्भीर चूक है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27. प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

28. लघु आपति विवरणिका :– लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

29. निष्कर्षः– लेखों के रख रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेश रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता / –
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(4) 48 / 18 खण्ड–1–7876–7879 दिनांक 20.11.18
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत लग, विकास खण्ड रामशहर, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश पिन–174030 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कुसुम्पटी, शिमला 171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, सोलन जिला सोलन, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रामशहर, जिला सोलन, हि0प्र0।

हस्ता / –
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046